उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग 1
संख्या-348 2025/1197/41-1-2025-CN-1534523-2023
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2025

शासनादेश संख्या-250/2025/717/41-1-2025 सी०एन०-1534523-2023 दिनांक 20.03.2025 का शुद्धि पत्र

जनपद आजमगढ़ में ग्राम चन्दौका वि०ख० पल्हनी में स्थित पूर्वी माता स्थल के सौन्दर्याकरण एव पर्यटन विकास कार्य हेतु जी०एस०टी०/अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-250/2025/717/41-1-2025-सी०एन०-1534523-2021 दिनांक-20.01.2025 के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, आजमगढ़ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी गोरखपुर पढ़ा जाए।

2- अतः उक्त शासनादेश दिनांक 20.03.2025 को उपरोक्तानुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा प्रायोजना की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
6. जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।
7. अपर आयुक्त (ग्रेड-1), वाणिज्य कर, आजमगढ मण्डल आजमगढ़ ।
8. मुख्य अभियंता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, लखनऊ ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
11. उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर/आजमगढ मण्डत ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।